

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2005 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 9 मार्च, 2005 (फाल्गुन 18, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री किशोरीलाल हंस, भूतपूर्व सदस्य विधानसभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, श्री राजनारायण सिंह पूरनी, सदस्य, भोपाल स्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय में विधायक के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, भूपेन्द्र आर्य, सदस्य, खरगोन अवंती सूत मिल बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप, सदस्य, पन्ना जिले के -

- (क) ग्राम सलैया फेरन सिंह में जनारी नाले पर पुलिया बनाये जाने,
- (ख) ग्राम रूपझिर में उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाये जाने,
- (ग) ग्राम करिया स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
- (घ) ग्राम तिघरा से करिया तक पहुंच मार्ग बनाये जाने,
- (ङ) ग्राम ताला में जुन्ना नाला पर स्टापडेम-कम-रपटा बनाये जाने,
- (च) ताला नदी के चकदई घाट पर रपटा बनाये जाने,
- (छ) ग्राम रेहुटा में पशु औषधालय भवन बनाये जाने,
- (ज) ग्राम बिरसिंहपुर-सुनेही के नालों पर पुल एवं रपटा बनाये जाने,
- (झ) ग्राम कृष्णागढ़ में अस्पताल भवन बनाये जाने एवं डाक्टर की व्यवस्था किए जाने,
- (ञ) ग्राम सुनवानी खुर्द एवं सुनार व्यारमा नदी पर रपटा बनाये जाने,
- (ट) ग्राम मिहगवां-तिलिया में नदी पर रपटा बनाये जाने,
- (ठ) ग्राम कचौरी में उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (ड) ग्राम महोड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (ढ) कृष्णागढ़-पिपरिया मार्ग का निर्माण कराये जाने, एवं
- (ण) झिराटा नदी के झिन्ना घाट का निर्माण कराये,

(2). श्री जगन्नाथ सिंह, सदस्य, रीवा जिले के-

- (क) ग्राम कोलौरा में अवैध कब्जा हटाये जाने, एवं
- (ख) ग्राम कोलौरा में पेयजल टंकी से जल प्रदाय कराने एवं टंकी के पास से अतिक्रमण हटाये जाने,

(3) श्रीमंत यशोधरा राजे सिधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

- (क) ग्राम कैनवाहा के पास सिंध नदी पर रपटा बनाये जाने,
- (ख) ग्राम टोंगरा में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने, एवं
- (ग) शिवपुरी नगर के वार्ड क्र. -17- तुलसी नगर से शराब की दुकान हटाये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम रघुनाथपुर स्थित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन किये जाने,

(5) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले के-

- (क) माचक उप नहर को रेलवे लाईन पार कराकर नहर निर्माण कराये जाने,
- (ख) ग्राम रिछाड़िया, नानी मकड़ाई, भवरदी एवं कुकड़ापानी की नदियों पर बांध बनाये जाने, एवं
- (ग) खिरकिया नगर में 132 के.वी. का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने,

(6) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, ग्वालियर जिले के-

- (क) ग्राम चिनोर से करहिया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,
- (ख) ग्राम मकोड़ा से लदवाया तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा
- (ग) ग्राम मकोड़ा से आंतरी तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 1 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) चौधरी चन्द्रभान सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित
समय

6. वर्ष 2004-2005 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 55, 56, 62, 63, 64, 66, 67, 79, 80, 81, 82 तथा 84 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर ग्यारह सौ चौवन करोड़, सतानवें लाख, बयासी हजार, चार सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय".

2 घन्टे

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. वर्ष 2005-2006 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

1 घन्टा

(1) मांग संख्या - 5 जेल
मांग संख्या - 18 श्रम
मांग संख्या - 86 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशांसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल.

2 घन्टे

(2) मांग संख्या - 23 जल संसाधन
मांग संख्या - 40 जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट
मांग संख्या - 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य
मांग संख्या - 48 नर्मदा घाटी विकास
मांग संख्या - 57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या - 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
मांग संख्या - 78 नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.

2 घन्टे

(3) मांग संख्या - 8 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन
मांग संख्या - 9 राजस्व विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या - 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
मांग संख्या - 84 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशांसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व
मांग संख्या - 63 अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या - 66 पिछड़ा वर्ग कल्याण.

2 घन्टे

(4) मांग संख्या - 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय
मांग संख्या - 37 पर्यटन
मांग संख्या - 53 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक
योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या - 70 ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशांसा के अंतर्गत विशेष समस्या-पर्यटन
मांग संख्या - 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या - 83 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या - 94 सिंहस्थ मेला, 2004 से संबंधित व्यय.

भोपाल :
दिनांक 7 मार्च, 2005

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.